8/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 CPC पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (अपीलांट) का तर्क है कि सुनवाई के दिवस अपीलांट के वकील श्री हरिराम उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने इस समय वकालत की प्रेक्टिस छोड़ दी थी। अपीलांट का यह भी कथन है कि इनके अधिवक्ता ने उन्हें इस बाबत कोई सूचना भी [illegible] नहीं दी। काफी समय तक इनसे संपर्क भी नहीं हुआ। अपीलांट अनपढ़ एवं ग्रामीण व्यक्ति है जो अनभिज्ञ भी है। इसी दौरान वकीलों की लम्बी हड़ताल भी चली इसलिए प्रयास करने के बावजूद भी अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं हो पाया। अंतत: रेस्पोंडेंट पक्ष द्वारा जानकारी दी जाने पर यह आवेदन पेश किया लिहाजा उसके प्रार्थना-पत्र पर समग्र परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायोचित निर्णय करते हुए आवेदन स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी (रेस्पोंडेंट) की दलील है कि अपीलांट स्वयं विजिलेंट नहीं रहा और काफी अरसे पश्चात यह आवेदन किया है जो निश्चित रूप से मियाद बाहर है और विलम्ब के लिए समुचित कारण भी नहीं है। केवल अधिवक्ता की चूक को आधार बनाकर पेश आवेदन मियाद के शमन के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये -(i) RBJ 2005(12) Page 132 (ii) RRT 2017(1) Page 711 (iii) RRT 2015(1) Page 232 है।

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी

अतः प्रार्थी (अपीलांट) को आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस एवं तर्कों पर मनन किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी भूल के लिए अपीलांट को खामियाजा नहीं भुगतना पड़े इसलिए अपीलांट प्रार्थी द्वारा वर्णित परिस्थितियों पर गौर करने के पश्चात् यह निष्कर्ष है कि अपील अपीलांट बहस की स्टेज पर थी और उसका निस्तारण तकनीकी आधारों पर न होकर गुणावगुण पर होता वह ज्यादा उपयुक्त एवं न्यायोचित होगा। प्रार्थी (अपीलांट) का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर मूल अपील पत्रावली पुनः बहाल कर सुनवाई के निर्धारित प्रक्रम में रखी जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो/ बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner